प्रेस नोट **24/09/2021**

पुलिस मुठभेड़ में थाना मधुबन क्षेत्रान्तर्गत पूर्व प्रधान के अपहरण मामलें में 25–25 हजार रूपये के इनामिया 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचा व कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.09.2021 को सायंकाल थाना मधुबन/एसओजी पुलिस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कुण्डा शरीफपुर गेट के पास से पुलिस मुठभेड़ में दो इनामिया (25–25 हजार) वांछित अपराधियों लक्ष्मीचन्द्र उर्फ लकी पुत्र स्व0 चन्द्रदेव, गुलशन पुत्र हरिषचन्द्र राम निवासीगण चकहैबतुल्लाह थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से 02 अवैध देशी तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर यूपी 54 आर 1071 बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण से कड़ाई से पूछताछ के दौरान लक्ष्मीचन्द उर्फ लकी तथा गुलशन दोनो ने बताया कि साहब हम लोगो की दोस्ती राहुल पुत्र रामदरश राम सा0 रामपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ से है, राहुल के दोस्त खरविन्द पुत्र तिलठू निवासी धनबाऊर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर व अमित चौहान पुत्र नन्दलाल चौहान निवासी टडवाटप्पा थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर तथा सन्नी व रामप्रताप पुत्रगण अज्ञात सा0 रैकवारेडीह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ हैं। मुझे तथा मेरे दोस्त गुलशन को यह जानकारी थी कि ग्राम दरौधा माधोपुर के पुर्व प्रधान रामशबद पटेल के पास ईंट भट्ठा व बालू गिट्टी की बड़ी दुकान है जो काफी पैसे वाले हैं जिनका अपहरण कर के फिरौती के रुप में काफी पैसा प्राप्त कर सकते हैं, जिनके अपहरण की योजना मैने अपने दोस्त राहुल उपरोक्त से बात करके बनाया तथा राहुल ने इस योजना को अपने दोस्त खरबिन्द कुमार, अमित चौहान, सन्नी व रामप्रताप बताया। योजना के अनुसार उपरोक्त सभी लोग दिनांक 21.09.2021 को मेरे घर चकहैबेतुल्लाह बोलेरो गाड़ी से आये, मैने तथा गुलशन ने पुर्व प्रधान रामशब्द के घर तथा दुकान को दिखाये एवं रामशबद को भी पहचान करवाया और हमारे यहां भोजन पानी हुआ फिर अगले दिन दिनांक 22.09.2021 को सुबह 06.30 बजे राहुल, खरबिन्द कुमार, अमित चौहान, सन्नी व रामप्रताप उक्त बोलेरो गाड़ी से कुण्डा शरीफ नहर पर आये तथा गाड़ी खड़ी कर रामशबद का इन्तजार करने लगे, थोड़ी देर बात रामशबद अपने घर से बालू गिट्टी के दुकान पर आ रहे थे जैसे ही रामशबद ने उक्त बोलेरो गाड़ी को क्रास किया तो उक्त बोलेरो गाड़ी को तेज रफ्तार में चला कर रामशबद के मोटर साईकिल के आगे ले आकर अचानक खड़ी कर दिये, गाड़ी में से खरबिन्द के अलावा सभी लोग उतरकर रामशबद के उपर तमंचा लगाते हुए जबरिया खींच कर बोलेरो गाड़ी में बैठा लिये तथा हाथ बांधकर बीच वाली सीट के नीचे लिटा दिये तथा बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिये मै तथा गुलशन कुण्डा शरीफ मोड़ पर मोटर साईकिल से खड़े थे जैसे ही बोलेरो गाड़ी आयी हम लोग आगे आगे चलकर सुनसान रास्तो से होते हुए बढुआगोदाम वनदेवी काझा होते हुए टडवाटप्पा लाकर बोलेरो गाड़ी तथा मोटर साईकिल राहुल के मामा बालकरन के ट्यूबेल के पास खड़ा करके फ्रेस होने चले गये हम सभी लोगो ने सोचा कि रामशबद बेहोश है कुछ देर बाद आकर देखा दो रामशबद वहां पर गाड़ी में नही था। जैसे ही हम लोगो को पता चला कि रामशबद गाड़ी से निकलकर ग्राम धनबाऊर पहुँच गया है तो हम लोग पुनः बोलेरो व मोटर साईकिल से जलालाबाद होते हुए अमित चौहान के नाना के घर ग्राम तियरा चले गये। कुछ देर बाद हम लोग पुलिस से छिपने के लिए इधर उधर भागने लगे कि पुलिस ने हम लोगो को माँ फुलवासी देवी स्मारक पब्लिक स्कूल के पास घेर लिया, मै तथा गुलशन अपने इसी मोटर साईकिल से बच बचाकर भाग गये तथा सन्नी व रामप्रताप भी किसी प्रकार से भाग गये बाकी राहुल, खरबिन्द व अमित चौहान को पुलिस ने पकड़ लिया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 478/21 धारा 307 भादवि0 व 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.09.2021 को मधुबन क्षेत्रान्तर्गत एक गांव के पूर्व प्रधान रामषब्द सिंह पटेल का फिरौती हेतु अपहरण किया गया था जिसको पुलिस ने उसी दिन मुठभेड में घटना में संलिप्त तीन अपराधियों को अवैध तमंचा व कारतूस व घटना में प्रयुक्त बोलेरों गाडी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया तथा अन्य अभियुक्तों को इनामियो घोषित कर गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमें गठित की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. लक्ष्मीचन्द्र उर्फ लकी पुत्र स्व0 चन्द्रदेव निवासी चकहैबतुल्लाह थाना मधुबन मऊ।
2. गुलशन पुत्र हरिश्चन्द्र राम निवासी चकहैबतुल्लाह थाना मधुबन मऊ।

फरार अभियुक्तगण–

1. सन्नी
2. राम प्रताप निवासीगण रैकवारेडीह थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. 02 अदद देशी तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
2. एक अदद मोटरसाइकिल हिरो स्पेलण्डर यूपी 54 आर 1071।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

क्षेत्राधिकारी अपराध श्री राजकुमार सिंह, निरीक्षक विमल प्रकाश राय प्रभारी निरीक्षक थाना मधुबन, उ0नि0 रामसकल यादव, उ0नि0 अजय कुमार सिंह, का0 अंगद सेन, अरुण कुमार, का0 अजय कुमार द्वितीय, का0 अविनाश धर दूबे, का0 राकेश कुमार थाना मधुबन।

उ0नि0 श्री अमित कुमार मिश्रा एसओजी प्रभारी मऊ, हे0का0 मनोज यादव, हे0का0 जवाहर सरोज, का0 कमलेश ठाकुर, का0 नीरज शर्मा, का0 संजीव सिंह, हे0का0 अजय यादव, हे0का0 विकाश यादव, हे0का0 राजीव सिंह, का0 लायक हुसैन, का0 अखिलेश यादव एसओजी टीम।

का0 विवेक सिंह, का0 संजय सिंह व का0 बृजेश मौर्या सर्विलांस टीम मऊ।

दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्ता गिरफ्तार–

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.09.21 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर समनपुरा से मु0अ0सं0 261/21 धारा 304बी, 498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्ता जगरानी पत्नी लखीचंद निवासी समनपुरा थाना हलधरपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 17 व्यक्ति व 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 24.09.21 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा मुमताज, फैजल, अशरफ, परवेज अहमद, निहाल अहमद, फैजान अहमद निवासीगण पुरानापुरा कुर्थीजाफरपुर, सलमान व सूर्यप्रकाश वर्मा निवासीगण चंदनपुरा, दिलीप व मनोज निवासीगण कोपाकोहना एवं संतोष यादव निवासी सेनुराइच थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा संतोष राय निवासी मुसरदह, राजीव गुप्ता व सतीश गुप्ता निवासीगण हनुमान नगर भीटी थाना कोतवाली, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा सिराज व समीम निवासीगण कंधेरी थाना सरायलखंसी तथा थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा जितेन्द्र कुमार निवासी व थाना हलधरपुर मऊ, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त संजीव राय पुत्र स्व0 जयप्रकाश निवासी हाफिजपुर थाना मुहम्मदाबाद व थाना मधुबन पुलिस द्वारा सूर्यनाथ निवासी सरफोरा थाना मधुबन मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।